कि 1987–88 के दौरान 70 प्रतिशत लघु औद्योगिक एककों का स्थाई निवेश (किताब मुल्य) 1.00 लाख रुपये तक का था। इन एककों में उत्पादन 17 प्रतिशत था।

(घ) जी, हां। नायक समिति जिसने लघु क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं की जांच की थी, के अनुसार, लघु औद्योगिक क्षेत्र ने बैंकिंग सिस्टम से कार्यशील पूंजी के रूप में अपने उत्पादन का केवल 8.1 प्रतिशत भाग प्राप्त किया (जबकि इसकी सासमान्य आवश्यकता 20% थी)।

(ङ) और (च) नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु क्षेत्र को पर्याप्त तथा समय पर ऋण देना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को 1993 में विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिनमें से मुख्य दिशा निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं :–

(1) अब से, बैंकिंग सिस्टम से एक करोड़ रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण सीमाओं के आधार पर कुल निधि वाले ग्रामीण, अति लघु उद्योग तथा अन्य लघु औद्योगिक इकाइयों को उनकी नयी तथा मौजूदा इकाइयों के पूर्वानुमानित वार्षिक कारोबार के कम से कम 20% कार्यशील पूंजी सीमा की संगणना के आधार पर की जानी चाहिए।

(2) लघु औद्योगिक क्षेत्र के ऋण-ग्राहियों से प्राप्त ऋण आवेदनों के निपटान हेतु निर्धारित कार्य पद्धति और समय सीमा को कड़ाई से लागू या जाना चाहिए।

(3) लघु इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिडबी की एकल खिड़की योजना को अपनाना चाहिए।

(4) वाणिज्यिक बैंकों को, जहां लघु औद्योगिक इकाइयां बहतायत में हों, उन क्षेत्रों में बैंक की विशेष शाखाएं खोलनी चाहिएं।

Industries manufacturing Paraffin wax and TD loaded poster paper

1436. SHRI SATISH PRADHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of industries manufacturing Paraffin Wax and TD loaded poster papers in hte country;

(b) whether the production of Paraffin Wax coated and TD loaded poster papers has radically suffered during month of September, 1994 if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that non-availability of the wrapping paper required for bakery industry has suffered production, resulting in acute shortage of bread, butter etc. in major cities; and

(d) what action Government have taken to prevent the recurrence of such incidents?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) There are around 380 units manufacturing paper and paperboard in the country including units engaged in the manufacture of Paraffin Wax and TD Loaded Poster Paper.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Letters of Intent issued to investors

1437. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Letters of Intent issued to both Indian and foreign investors during the last three years and till date and the total amount involved both in Rupee and in foreign exchange;

(b) the percentage of investment which is the estimated to have been

realised till date during this period and the amount of direct employment generated therefrom; and

(c) what is the extent of increase in the revenue realization by the Registrar of Companies by way of issuing new Intents to enterprises during the first quarter of 1994-95 as compared to the same period in the previous year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY SHRIMATI KRISHNA SAHI: (a) 2,414 Letters of Intent were granted (including Non-Resident Indians and cases involving foreign collaboration) during the years 1991 to 1994 (upto September). These involve an investment in fixed assets to the tune of Rs. 53035.86 crores. These are likely to generate employment of 470182 members.

(b) Letters of Intent are valid for three years during which these need to be converted into Industrial Licences. Hence, actual investment and employment can be generated only when an Industrial Licence is implemented.

(c) Registrar of Companies do not collect any revenue on account of issuing of Letters of Intent.

लघु और कूटीर उद्योगों के लिए आरक्षित उद्योग

1438. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु और कूटीर उद्योगों के लिए कौन-कौन से उद्योग आरक्षित हैं ;

(ख) इन आरक्षित उद्योगों में से कितने उद्योगों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इससे लघु और कुटीर उद्योगों को भारी हानि होगी ; और

(घ) क्या सरकार बड़े उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लघु और कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस समय 836 मदें केवल लघु क्षेत्र के विनिर्माण के लिए आरक्षित हैं। ये मदें ता० 25.7.1991 के राजपत्र अधिसूचना सं.का.आ. 477 (अ) की अनुसूची-3 में दी गयी हैं। केवल कुटीर उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित मदों की कोई अलग सूची नहीं है। किन्तु, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले 96 उद्योगों का के.वी. आई.सी. से वित्तीय सहायता पाने के लिए पता लगाया गया है।

(ख) से (घ) बहुराष्ट्रीय उपक्रमों सहित मझौले/बड़े उद्योग 75% निर्यात दायित्व के अधीन आरक्षित मदों का निर्माण कर सकते हैं निर्यातोन्मुख रेडिमेड गारमेंट एककों के मामले में यह 50% है जिसकी निवेश सीमा 3 करोड़ रु. है। यदि ये आरक्षण की तारीख से पूर्व आरक्षित मदों का विनिर्माण कर रहे थे तो यह सरकार से कार्य जारी रखने (सी.ओ.बी.) का लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ऐसा करना जारी रख सकते हैं। इसी प्रकार जो लघु एकड़ सी.ओ.बी. लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ऐसी मदों का विनिर्माण जारी रख सकते हैं। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों सहित मझौले एककों द्वारा विनिर्मित कुछ प्रसिद्ध आरक्षित मदों में बिस्कुट, डबलरोटी, चमड़े के सैनिटरी नैपकिन, टूथपेस्ट, टूथ पडर इत्यादि शामिल हैं। आरक्षण नीति के उपबन्ध के उल्लंघन के किसी भी मामले की उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन गठित आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति द्वारा जांच की जाती है।

75% निर्यात दायित्व से संबंधित उपबन्धों और घरेलू तथा विदेशी दोनों के लिए अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में 24% से ज्यादा इक्विटी भागीदारी की अनुमति न देने का उद्देश्य लघु क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है।